

राज्य सभा सचिवालय  
(कार्मिक अनुभाग)

संसदीय सौध,  
नई दिल्ली।

सं. आरएस 30/1/2019-कार्मिक


दिनांक 7 नवंबर, 2019

परिपत्र  
(सं. 18)

विषय: माननीय संसद सदस्यों को बाहरी लॉबी, गलियारों आदि में आते-जाते समय पहले रास्ता दिए जाने तथा संसद भवन परिसर में लिफ्ट, कैंटीन एवं अन्य सुविधाओं के प्रयोग में प्राथमिकता दिए जाने के संबंध में

दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 के परिपत्र (प्रति संलग्न) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके माध्यम से यह निदेश जारी किए गए थे कि माननीय संसद सदस्यों को बाहरी लॉबी, गलियारों आदि में आते-जाते समय पहले रास्ता दिया जाना चाहिए तथा संसद भवन परिसर में लिफ्ट, कैंटीन तथा अन्य सुविधाओं के प्रयोग में उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

2. समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त निदेशों का सख्ती से पालन करें।

  
(अमित कुमार)  
उप सचिव

सेवा में,

समस्त अधिकारी/अनुभाग/निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक

भारतीय संसद  
(कार्मिक-अनुभाग)

संसदीय सौध,  
नई दिल्ली।

सं. आरएस 30/1/2011-कार्मिक

दिनांक 22 दिसम्बर, 2011

परिपत्र  
(सं. 6)

विषय: माननीय संसद सदस्यों को बाहरी लॉबी, कैंटीन, संसदीय सौध आदि में आवाजाही के दौरान और लिफ्ट के उपयोग में रास्ते का अधिकार / प्राथमिकता

यह देखा गया है कि संसद सदस्यों को इस सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा बाहरी लॉबी, गलियारों में रास्ते का पहला अधिकार नहीं दिया जा रहा है और उन्हें संसद भवन परिसर में लिफ्टों, कैंटीनों और अन्य सुविधाओं के उपयोग में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ लिया गया है।

इस सचिवालय के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को एतद्द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि वे बाहरी लॉबी, गलियारों आदि में आते-जाते समय माननीय संसद सदस्यों को पहले रास्ता दें और संसद भवन परिसर में लिफ्टों, कैंटीन तथा अन्य सुविधाओं के उपयोग में उन्हें प्राथमिकता दें।

ह/-  
(एस. रंगराजन)  
उप निदेशक

सेवा में,

समस्त अधिकारी/अनुभाग/निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. महासचिव का कार्यालय
2. भारत के उप राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति का कार्यालय
3. सचिव का कार्यालय
4. अपर सचिव (डी) के वैयक्तिक सहायक